न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07/2013
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2012/00004

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जरिये जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ

(सायल)

बनाम

जगदीश पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी काज्या टोडी वार्ड नंबर 3 मांगरोल, थाना मांगरोल, जिला बारां, (राज0)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– सहायक लोक अभियोजक (सायल)
2– श्री बालमुकुन्द गुर्जर, अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 15.11.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल जगदीश पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी काज्या टोडी वार्ड नंबर 3 मांगरोल, थाना मांगरोल, जिला बारां के विरूद्ध थानाधिकारी मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्व थाना मांगरोल में वर्ष 2005 से 2012 तक की अवधि में कुल 27 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 RPGO तथा 324, 323, 34 325, 143, 504 भा0द0स0 के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से 25 प्रकरण राजस्थान जुआ अध्यादेश, 02 प्रकरण लडाई झगडा, मारपीट अपराधों के अन्तर्गत पजिंबद्ध हुये है। जिनमें से 09 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कास[illegible]ावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:40 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आप[illegible]क शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। [illegible]कांश प्रकरणों में न्या[illegible] द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्[illegible] की परिभाषा में आता [illegible]तः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से अधिकतम समयावधि हेतु निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत करते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। गैरसायल के द्वारा प्रकरण में जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया की प्रार्थी को प्रेषित किये गये नोटिस का अब कोई अस्तित्व नही है, क्योंकि नोटिस में दर्शाये गये सभी प्रकरणों का संबंधित न्यायालयों द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। किसी भी मुकदमें में आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड का प्रावधान नही था ना ही प्रार्थी को कभी कारावासित किया गया है। विगत एक वर्ष में प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही है। थानाधिकारी मांगरोल द्वारा जो विवरण बताया गया है वह अस्पष्ट है। प्रार्थी के विरूद्ध चारित्रिक हनन या कोई संगीन अपराध कभी नही रहा है। प्रेषित नोटिस बेबुनियाद है। प्रार्थी शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है, कभी भी समाज में विरूद्ध कोई भी अपराधिक कार्यवाहियों में लिप्त नही रहा है, अतः गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जावें।

साक्ष्य सायल में PW 1 रामचन्द्र मारन, PW 2 सूरजमल एवं PW 3 नवल किशोर के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल फाईल किये गये। साक्ष्य गैरसायल में गैरसायल की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। थाना मांगरोल से गैरसायल के वर्तमान चालचलन की रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस सहायक लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल में विभिन्न धाराओं में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज है। मांगरोल में वर्ष वर्ष 2005 से 2012 तक की अवधि में कुल 27 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 324, 323, 34 325, 143, 504 भा0द0स0 तथा 13 RPGO के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से 09 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने, गैरसायल के चालचलन में कोई सुधार नही होने, गैरसायल की आपराधिक गतिविधिया निरन्तर बढने से, अप्रार्थी की आम शौहरत भी ठीक नहीं होने, अप्रार्थी का आम जनता में भय एवं आतंक होने एवं अप्रार्थी के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा में अंकित गये सभी प्रकरणों का संबंधित न्यायालयों द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। किसी भी मुकदमें में गैरसायल को कभी कारावासित नही किया गया है। विगत वर्षो में गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है, कभी भी समाज के विरूद्ध कोई भी अपराधिक कार्यवाहियों में लिप्त नही रहा है, गैरसायल गरीब व्यक्ति है। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर [illegible] विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल द्वारा प्रस्तुत गुण्डा एक्ट की कार्यवाही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:40 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मन[illegible] प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना बारां सदर में बारां सदर में र्ष 2005 से 2012 तक की अवधि में कुल 27 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 324, 323, 34 [illegible] 143, 504 भा0द0स0 तथा 13 RPGO के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से 25 प्रकरण राजस्थान जुआ अध्यादेश, 02 प्रकरण लडाई झगडा, मारपीट

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

जिला कलेक्टर न्यायालय

अपराधों के अन्तर्गत पजिंबद्ध हुये है। जिनमें से 09 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। तथा प्राप्त चालचलन रिपोर्ट अनुसार गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2012 के बाद प्रकरण संख्या 127/14, 74/13 अन्तर्गत धारा 279, 337, 5/180, 146/196, 3/181 M.V. Act तथा 13 RPGO के तहत दर्ज हुए है। जिनमें से 01 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.5.2014 को 100 /– का जुर्माना लगाकर सजायाब किया जा चुका है। एवं 01 प्रकरण विचाराधीन है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों से यह साबित होता है कि गैरसायल जगदीश पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी काज्या टोडी वार्ड नंबर 3 मांगरोल, थाना व तहसील मांगरोल, जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल जगदीश पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी काज्या टोडी वार्ड नंबर 3 मांगरोल, थाना मांगरोल, जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत थाना क्षेत्र मांगरोल, जिला बारां से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल जगदीश पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी काज्या टोडी वार्ड नंबर 3 मांगरोल, थाना मांगरोल, जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा (ग्रामीण) को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 30.11.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीर जिला मजिस्ट्रेट, कोटा/जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/कोटा (ग्रामीण) थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना, जिला कोटा (ग्रामीण) एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारां को भिजवायी जावे। थानाधिकारी मांगरोल, जिला बारां को निर्देशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना, जिला कोटा (ग्रामीण) के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:40 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट,बारां